

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 1(14)ग्रावि/नरेगा/वेज/2014

जयपुर, दिनांक 4 APR 2016

4 APR 2016

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त राजस्थान।

विषय:- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत दिनांक 01.04.2016 से अकुशल श्रमिक मजदूरी दर के संबंध में।

संदर्भ:- विभागीय समसंख्यक पत्रांक दिनांक 06.04.2015 एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 23.03.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 23.03.2016 को अधिसूचना जारी कर महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 में संशोधन कर योजनान्तर्गत नियोजित किए जाने वाले अकुशल श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी दर में 01 अप्रैल, 2016 से संशोधन कर राज्य के लिए यह दर रू. 181/- प्रति दिवस की गई है (प्रति संलग्न)।

अतः ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी उक्त अधिसूचना के अनुरूप महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत 01 अप्रैल, 2016 से नियोजित किए जाने वाले अकुशल श्रमिकों की मजदूरी दर का भुगतान रू. 181/- प्रति दिवस की दर से किया जावे।

भवदीय

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

७३

परि.निदे. एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि:

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा, राजस्थान एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान जयपुर/बाडमेर।
3. विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी महात्मा गांधी नरेगा योजना राजस्थान, समस्त।
4. रक्षित पत्रावली।

७३

परि.निदे. एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस

